बरकतउल्ला विश्वविद्यालय नर्मदापुरम रोड, भोपाल

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक ...017.../अकादमी शाखा (पात्रता)/2023

भोपाल दिनांक 25/09/2023

समस्त विद्यार्थियो एवं समस्त संबद्व महाविद्यालयों के प्राचार्यगणो को सूचित किया जाता है कि म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक 327/46/सी.सी./2023/अड़तीस, भोपाल दिनांक 17/05/2023 एवं आदेश क्रमांक 903/139/आउशि/शा–5 'अ'/2023 भोपाल दिनांन 26.07.2023 तथा आदेश क्रमांक 1443/139/आउशि/शा–5 'अ'/2023 भोपाल दिनांन 08.09.2023 के अनुसार जारी स्नातक/स्नातकोत्तर में प्रवेश समय–सारणी के अनुसार पात्रता प्रमाण–पत्र प्रदान करने हेतु निम्नानुसार तिथी एवं शुल्क देय होगा:–

सरल क्रमांक	दिनांक	सामान्य शुल्क	विलम्ब शुल्क	कुल राशि
01	05/07/2023 से 10/10/2023 तक	300/–	—	300/–
02	11/10/2023 से 25/10/2023 तक	300/–	300/–	600/–
03	26/10/2023 से 10/11/2023 तक	300/–	600/–	900/–
04	11/11/2023 से परीक्षा से एक दिन पूर्व तक	300/–	1000/–	1300/–

1 म0प्र0 के बाहर अन्य राज्यों से बारहवीं उत्तीर्ण (10+2) विद्यार्थियों को नियमानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार प्रवेश के समय आवेदक की पात्रता का परीक्षण का संपूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा। आवंटन का तात्पर्य यह कदापि नही होगा कि आवेदक प्रवेश की पात्रता पूर्ण करता है।

2 पात्रता प्रमाण पत्र संबंधी – म0प्र0 राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर में प्रवेश हेतु पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही होगी। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्य के विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

3 शेष शर्ते उच्च शिक्षा विभाग के प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्वांत पुस्तिका के अनुसार ही होगी।

नोट:–विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार प्रवेश के समय आवेदक की पात्रता का परीक्षण का संपूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा। आवंटन का तात्पर्य यह कदापि नही होगा कि आवेदक प्रवेश की पात्रता पूर्ण करता है।

I.T. Cell

कुलसचिव
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल